रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, शनिवार, 7 दिसम्बर, 1974
अग्रहायण 16, 1896 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका अनुभाग-1

संख्या :4471/सत्रह-वि-1-56-74
लखनऊ, 7 दिसम्बर, 1974

अधिसूचना

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, 1974 पर दिनांक 3 दिसम्बर, 1974 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, 1974 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1974

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34, 1974)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई०, उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956, कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 और यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के पच्चीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहलायेगा।

अध्याय 2

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 1, 1951 की धारा 2 का संशोधन।

2—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, उपधारा (1) में, वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे आस्थान या उसके भाग के सम्बन्ध में जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में हो, इस उपधारा के अधीन कोई विज्ञप्ति ऐसी सरकार के परामर्श के बिना जारी नहीं की जायगी।"

धारा 3 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में—

(1) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

"(4) 'कलेक्टर' का तात्पर्य यू० पी० लैन्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 के उपबन्धों के अधीन कलेक्टर के रूप में नियुक्त अधिकारी से है और इसके अन्तर्गत प्रथम श्रेणी का ऐसा असिस्टेन्ट कलेक्टर भी है जिसे राज्य सरकार ने गजट में विज्ञप्ति द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्राप्त कलेक्टर के सभी या किसी कार्य के सम्पादन का अधिकार किया हो,"

(2) उपधारा (27) में, शब्द "कलेक्टर", जहां वह पहली बार आया हो, निकाल दिया जाय।

धारा 123 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 123 को पुनः संख्यांकित करके उसको उपधारा (1) कर दी जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"(2) यदि धारा 122-ग की उपधारा (3) में अधिदिष्ट किसी व्यक्ति ने किसी खातेदार द्वारा (जो सरकारी पट्टेदार न हो) धृत किसी भूमि पर गृह निर्माण किया हो, और ऐसा गृह 15 मार्च, 1974 को विद्यमान हो तो ऐसे गृह के स्थल का, इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, बन्दोबस्त खातेदार द्वारा ऐसे प्रतिबन्धों और खातों पर, जो नियत की जायं, ऐसे गृह के स्वामी के साथ किया गया समझा जायगा।

स्पष्टीकरण—उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ, किसी खातेदार द्वारा धृत किसी भूमि पर 15 मार्च, 1974 को विद्यमान किसी गृह को, जब तक कि इसके प्रतिकूल साबित न कर दिया जाय, उसके अध्यासी द्वारा, और यदि अध्यासी एक ही परिवार के सदस्य हों तो उस परिवार के मुखिया द्वारा निर्मित किया गया मान लिया जायगा।"

धारा 154 का प्रतिस्थापन

5—मूल अधिनियम की धारा 154 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

"154—(1) उपधारा (2) में की गई व्यवस्था के सिवाय, किसी भी भूमिधर को चाय के बागान से भिन्न कोई भूमि किसी व्यक्ति को विक्रय या दान द्वारा संक्रमित करने का अधिकार न होगा, यदि संक्रामिती उक्त विक्रय या दान के परिणामस्वरूप प्राप्त तथा अपने परिवार द्वारा धृत भूमि को, यदि कोई हो, मिलाकर उत्तर प्रदेश में 5.04 हेक्टर (12.50 एकड़) से अधिक भूमि का हकदार हो जाय।

(2) भौमिक अधिकारों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, राज्य सरकार उपधारा (1) में नियत सीमा से अधिक संक्रमण को प्राधिकृत कर सकती है, यदि उसको यह राय हो कि ऐसा संक्रमण किसी रजिस्टर्ड सहकारी समिति अथवा दानोत्तर प्रयोजन के लिये स्थापित किसी ऐसी संस्था जिसके पास अपनी आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त भूमि नहीं है, के पक्ष में है, अथवा संक्रमण जन-साधारण के हित में है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनार्थ, पद "परिवार" का तात्पर्य संक्रमिती, उसकी पत्नी या उसका पति (जैसी भी दशा हो) और उसके अवयस्क बच्चे होंगे, और यदि संक्रमिती अवयस्क हो तो उसके माता-पिता भी होंगे।"

धारा 156 का संशोधन

6—मूल अधिनियम की धारा 156 में, उपधारा (2) में, उसका स्पष्टीकरण निकाल दिया जाय ।

धारा 157-क का संशोधन

7—मूल अधिनियम की धारा 157-क में—

(1) पार्श्व शीर्षक में, शब्द "अनुसूचित आदिम जातियों" के स्थान पर शब्द "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों" रख दिये जायें ;

(2) उपधारा (1) में, जहां कहीं भी शब्द "अनुसूचित आदिम जाति" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति" रख दिये जायें;

(3) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का कोई भूमिधर, सीरदार या आसामी किसी जोत में अपने स्वत्व को (उत्तर प्रदेश कृषि उधार अधिनियम, 1973 में यथापरिभाषित) कृषि प्रयोजनों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में राज्य सरकार से तकावी के रूप में, या किसी सहकारी भूमि विकास बैंक से, या स्टेट बैंक आफ इंडिया से, या किसी अन्य ऐसे बैंक से जो रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, 1934 की धारा 2 के खण्ड (ई) के अर्थान्तर्गत शेड्यूल्ड बैंक हों, या यू० पी० स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड से लिये गए ऋण के लिए प्रतिभूत के रूप में कब्जा रहित बन्धक द्वारा बिना ऐसी स्वीकृति के संक्रमित कर सकता है ।"

(4) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रख दिया जाय, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—इस अध्याय में, पद 'अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों' का क्रमशः तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अधीन उत्तर प्रदेश के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों से है।"

धारा 169 का संशोधन

8—मूल अधिनियम की धारा 169 में, उपधारा (2-क) में, शब्द "अनुसूचित आदिम जाति" के स्थान पर शब्द "अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति" रख दिये जायें ।

धारा 198 का प्रतिस्थापन

9—मूल अधिनियम की धारा 198 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

धारा 195 और 197 के अधीन व्यक्तियों को भूमि उठाने में अधिमान-क्रम

"198—(1) धारा 195 या धारा 197 के अधीन सीरदार अथवा असामी के रूप में व्यक्तियों को भूमि उठाने में (जिसे आगे या इस धारा में 'भूमि का प्रादेशन' कहा गया है) भूमि प्रबन्धक समिति, धारा 178 के अधीन न्यायालय द्वारा दिये गये किसी आदेश के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित अधिमान-क्रम का अनुसरण करेगी:—

(क) शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश अथवा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश या किसी विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त तथा कृषि, औद्यानिकी अथवा पशुपालन में शिक्षा देने या इनमें अनुसंधान की व्यवस्था करने वाली कोई शिक्षा संस्था,

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसकी संघ के सशस्त्र दल में सक्रिय सेवा में रहते हुए शत्रु की कार्यवाही से मृत्यु हुई हो, मंडल में निवास करने वाली भूमिहीन विधवा, पुत्र, अविवाहित पुत्रियां तथा माता-पिता,

(ग) मंडल में निवास करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जो शत्रु की कार्यवाही से उस समय पूर्णतः विकलांग हो गया हो जब वह संघ के सशस्त्र दल में सक्रिय सेवा में था,

(घ) मंडल में निवास करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जो भूमि अर्जन से संबंधित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन अपनी भूमि अनिवार्यतः अर्जित किये जाने के परिणामस्वरूप निहित दिनांक को या उसके पश्चात् भूमिहीन हो गया हो,

(ङ) खण्ड (ग) में अभिदिष्ट व्यक्ति से भिन्न मण्डल में निवास करने वाला कोई ऐसा भूमिहीन व्यक्ति---

(1) जो खेतिहर मजदूर हो और जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति का हो,

(2) जो संघ के सशस्त्र दल में किसी अधिकारी के रूप में सेवा से भिन्न सेवा से निवृत्त, विमुक्त अथवा उन्मुक्त हो,

(3) जो स्वतंत्रता सेनानी हो और जिसे राजनीतिक पेंशन स्वीकृत न की गयी हो,

(च) मंडल में निवास करने वाला कोई अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूर,

(छ) मंडल में निवास करने वाला और जिसके पास 1.26 हेक्टर (3.125 एकड़) से कम भूमि हो, कोई भूमिधर, सीरदार या असामी,

(ज) किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का कोई ऐसा अन्य भूमिहीन खेतिहर मजदूर, जो मंडल में निवास न करता हो किन्तु यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, 1947 की धारा 42 में अभिदिष्ट न्याय पंचायत सर्किल में निवास करता हो,

(झ) कोई अन्य व्यक्ति ।

स्पष्टीकरण---इस उपधारा के प्रयोजनार्थ---

(1) 'भूमिहीन' का अभिदेश किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास अथवा जिसके पति या जिसकी पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों के पास भूमिधर, सीरदार, या असामी के रूप में कोई भूमि न हो, और खण्ड (घ) के सिवाय, प्रदेशन के दिनांक के ठीक पूर्व दो वर्ष की अवधि में भी इस रूप में कोई भूमि न रही हो, और

(2) 'खेतिहर मजदूर' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य साधन खेती संबंधी मजदूरी हो ।

(3) 'स्वतंत्रता सेनानी' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे निवासी से है जिसके संबंध में कलेक्टर यह प्रमाणित करे कि उसने 1930 से 1947 की अवधि में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है और उसके इस प्रकार भाग लेने के संबंध में इसी प्रकार का यह प्रमाण-पत्र दे कि---

(क) उसने कम से कम दो माह की अवधि के लिए कारावास का दण्ड भोगा है, या

(ख) वह निवारक निरोध के अन्तर्गत अथवा विचाराधीन व्यक्ति के रूप में कम से कम तीन माह की अवधि के लिये जेल में रहा है, या

(ग) उसे कोड़ा लगाने के दण्डादेश का निष्पादन करने में दस बेंत लगाये गये हो, या

(घ) उसे फरार अपराधी घोषित किया गया हो, या

(ङ) वह गोली (बुलेट) की चोट से घायल हुआ है,

और इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो पेशावर-कांड से सम्बद्ध था अथवा जो इंडियन नेशनल आर्मी या पूर्ववर्ती इंडिया इंडिपेन्डेंस लीग का अभिज्ञात सदस्य था, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे इस प्रकार भाग लेने पर क्षमा याचना अथवा खेद व्यक्त करने के कारण क्षमा कर दिया गया हो ।

(2) यदि उपधारा (1) के खण्ड (ङ) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों को प्रविष्ट करने के लिये उपलब्ध भूमि 2 हेक्टर (4.94210 एकड़) से कम न हो और उक्त खण्ड के एक से अधिक उपखण्ड के अन्तर्गत आने वाले आवेदक उपलब्ध हों तो उक्त खण्ड के उपखण्ड (1), (2) तथा (3) के आवेदकों के लिये अलग-अलग सूची (जिसे आगे क्रमशः सूची

एक, सूची दो और सूची तीन कहा गया है) तैयार की जायगी और सूची एक से दो व्यक्ति, सूची दो से एक व्यक्ति और सूची तीन से एक व्यक्ति के पक्ष में प्रदेशन किया जायगा, और यह प्रक्रिया तब तक की जारी रहेगी जब तक कि उपलब्ध भूमि निःशेष न हो जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि सूची दो या सूची तीन में एक से अधिक व्यक्ति के नाम हों, अथवा सूची एक में दो से अधिक व्यक्तियों के नाम हों तो ऐसे व्यक्ति जिनके पक्ष में प्रत्येक क्रमिक अवसर पर ऐसा प्रदेशन किया जाना हो, पर्ची डाल कर चुने जायेंगे ।

(3) उस भूमि, जो—

(1) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन किसी शिक्षा संस्था को प्रदिष्ट की जा सकेगी, का क्षेत्रफल प्रदेशन के ठीक पूर्व संस्था द्वारा धृत क्षेत्रफल को मिलाकर 5.04 हेक्टर (12.50 एकड़) से,

(2) उपधारा (1) के खण्ड (ख), खण्ड (ग), खण्ड (घ), खण्ड (ङ०), खण्ड (च), खण्ड (ज) अथवा खण्ड (झ) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदिष्ट की जा सकेगी, का क्षेत्रफल 1.26 हेक्टर (3.125 एकड़) से,

(3) उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदिष्ट की जा सकेगी, का क्षेत्रफल प्रदेशन के ठीक पूर्व ऐसे व्यक्ति द्वारा भूमिधर, सीरदार या असामी के रूप में धृत भूमि को मिलाकर 1.26 हेक्टर (3.125 एकड़) से, अधिक न होगा ।

(4) कलेक्टर स्व प्रेरणा से और भूमि के प्रदेशन से क्षुब्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर ऐसे प्रदेशन के संबंध में नियत रीति से जांच कर सकता है और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि प्रदेशन अनियमित है तो वह—

(1) प्रदेशन तथा पट्टा, यदि कोई हो, निरस्त कर सकता है और तदुपरान्त प्रदिष्ट या पट्टे पर दी गई भूमि में प्रदेशन ग्रहीता या पट्टेदार अथवा उसके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति का अधिकार, आगम तथा स्वत्व समाप्त हो जायगा और ऐसी भूमि गांव सभा को प्रत्यावर्तित हो जायगी, और

(2) निदेश दे सकता है कि ऐसी भूमि पर कब्जा रखने या बनाये रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल करने के पश्चात् वह भूमि तत्काल गांव सभा के कब्जे में दे दी जाय और इस प्रयोजनार्थ ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है अथवा करा सकता है जो आवश्यक हो ।

(5) उपधारा (4) के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश, धारा 333 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, अन्तिम होगा ।"

धारा 241 का प्रतिस्थापन

10—मूल अधिनियम में, धारा 241 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

"241—किसी खाते पर निर्धारित मालगुजारी ऐसे खाते पर और उस पर खड़े वृक्षों या भवनों अथवा उसके लगान, लाभ या उपज पर भी प्रथम भार होगी ।"

धारा 243 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 243 में—

(क) उपधारा (1) में, शब्द "गांव" के स्थान पर शब्द "खाते" रख दिया जाय ।

(ख) उपधारा (2) निकाल दी जाय ।

धारा 257 का संशोधन

12—मूल अधिनियम की धारा 257 में,—

(1) उसका प्रथम प्रतिबन्धात्मक खण्ड निकाल दिया जाय ।

(2) द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द "और यह भी प्रतिबन्ध है" के स्थान पर शब्द "प्रतिबन्ध यह है" रख दिए जायें ।

धारा 258 का निकाला जाना

13—मूल अधिनियम की धारा 258 निकाल दी जाय ।

धारा 259 का निकाला जाना

14—मूल अधिनियम की धारा 259 निकाल दी जाय ।

धारा 274 का निकाला जाना

15—मूल अधिनियम की धारा 274 निकाल दी जाय ।

धारा 286-क का संशोधन

16—मूल अधिनियम की धारा 286-क में—

(क) उपधारा (1) में शब्द 'मालगुजारी की बकाया' के स्थान पर शब्द 'मालगुजारी की बकाया अथवा मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जाने योग्य कोई अन्य धनराशि' रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें,

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जाय, अर्थात्—

"(3-क) उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश, बाकीदार को कारण बताने का नोटिस दिये बिना और ऐसी नोटिस के उत्तर में किसी प्रत्यावेदन पर जो कलेक्टर को प्राप्त हो, विचार किये बिना न दिया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कोई अन्तरिम आदेश ऐसी नोटिस जारी किये जाने के पूर्व या पश्चात् किसी भी समय किया जा सकता है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी नोटिस जारी किये जाने के पूर्व कोई अन्तरिम आदेश दिया जाय तो वह आदेश समाप्त हो जायगा यदि उस अन्तरिम आदेश के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर कोई नोटिस जारी न की जाय ।"

नई धारा 287-क का बढ़ाया जाना

17—मूल अधिनियम की धारा 287 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

"287-क—(1) जब कभी किसी बकाया मालगुजारी को वसूल करने के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियां की जायं तो वह ऐसी कार्यवाहियां करने वाले अधिकारी को अभ्यर्पित धनराशि का अभ्यापत्ति के साथ भुगतान कर सकता है, और ऐसा भुगतान किये जाने पर कार्यवाहियां स्थगित कर दी जायंगी और ऐसा व्यक्ति जिसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाहियां की गई हों, इस प्रकार दत्त धनराशि के लिए राज्य सरकार के विरुद्ध सिविल न्यायालय में वाद ला सकता है, और ऐसे वाद में वादी, धारा 278 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी धनराशि के, यदि कोई हो, जिसे वह देय मानता है, संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है ।

'अभ्यापत्ति के साथ भुगतान और वसूली के लिए वाद

(2) इस धारा के अधीन किसी अभ्यापत्ति से कोई व्यक्ति किसी सिविल न्यायालय में तब तक वाद नहीं ला सकेगा जब तक कि अभ्यापत्ति, जो लिखित रूप में और ऐसे व्यक्ति अथवा उनकी ओर से सम्यक् रूप से प्राधिकृत एजेन्ट द्वारा हस्ताक्षरित हो, भुगतान करते समय न की जाय"।

धारा 330 का प्रतिस्थापन

18—मूल अधिनियम की धारा 330 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

"330—इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन की गई व्यवस्था के सिवाय, निम्नलिखित के संबंध में किसी दीवानी न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी—

(क) प्रतिकर निर्धारण तालिका में कोई इन्दराज या लोप, या

(ख) इस अधिनियम के भाग 1 के अधीन दिया गया कोई आदेश, या

(ग) अध्याय 10 के अधीन मालगुजारी का निर्धारण और उसकी वसूली।"

अध्याय 3

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 का संशोधन

उ० प्र० अधिनियम संख्या 9, 1957 की धारा 1 का संशोधन

19—उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 की धारा 1 में, उपधारा (3) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे आस्थान या उसके भाग के संबंध में जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में हो, इस उपधारा के अधीन कोई विज्ञप्ति ऐसी सरकार के परामर्श के बिना जारी नहीं की जायगी ।"

अध्याय 4

कुमायूं तथा उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 का संशोधन

20—कुमायूं तथा उत्तराखंड जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1960 की धारा 2 में, वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:— — उ० प्र० अधिनियम सं० 17, 1960 की धारा 2 का संशोधन

"अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि किसी ऐसे आस्थान या उसके भाग के संबंध में जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में हो, इस उपधारा के अधीन कोई विज्ञप्ति ऐसी सरकार के परामर्श के बिना जारी नहीं की जायेगी।"

अध्याय 5

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 का संशोधन

21—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5 की— — उ० प्र० अधिनियम सं० 5, 1954 की धारा 5 का संशोधन

(i) उपधारा (i) के खण्ड (ग) के उपखण्ड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उप खण्ड रख दिया जाय, अर्थात्:—

"(ii) चकबन्दी क्षेत्र में सम्मिलित अपनी जोत अथवा उसके किसी भाग का विक्रय, दान अथवा विनिमय द्वारा अन्तरण नहीं करेगा।"

(2) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्—

"स्पष्टीकरण—उपधारा (2) के प्रयोजनार्थ, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अधीन कोई कार्यवाही किसी भूमि के अधिकारों या स्वत्व के प्रख्यापन के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं समझी जायगी।"

22—मूल अधिनियम की धारा 11-ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात— — धारा 11-ग का बढ़ाया जाना

"11-ग—धारा 9-क के अधीन किसी आपत्ति या धारा 11 के अधीन अपील अथवा धारा 48 के अधीन पुनरीक्षण कार्यवाहियों की सुनवाई के दौरान चकबन्दी अधिकारी, बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) अथवा चकबन्दी निदेशक, जैसी भी दशा हो, यह निदेश दे सकता है कि कोई भूमि जो राज्य सरकार या गांव सभा अथवा किसी अन्य स्थानीय निकाय या प्राधिकारी में निहित हो, उसके नाम से अभिलिखित की जाय, भले ही ऐसी सरकार, गांव सभा, निकाय या प्राधिकारी द्वारा कोई आपत्ति, अपील या पुनरीक्षण दाखिल न किया गया हो।"

23—मूल अधिनियम की धारा 27 में, उपधारा (3) के शब्द तथा अंक "और यू० पी० लैन्ड रेवन्यू एक्ट, 1901 की धारा 28 और 33 के उपबन्ध, यथास्थिति, ऐसे नक्शे, खसरा तथा अधिकार अभिलेख के रखे जाने पर लागू हों" के स्थान पर शब्द तथा अंक "और ऐसा नक्शा, खसरा तथा अधिकार अभिलेख के रखे जाने और उन्हें शुद्ध किये जाने के संबंध में यू० पी० लैण्ड रेवन्यू ऐक्ट, 1901 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे" रख दिये जायें। — धारा 27 का संशोधन

अध्याय 6

यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 का संशोधन

24—यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, 1901 की धारा 182-क में,— — यू०पी० ऐक्ट सं० 3, 1901 की धारा 182-क का संशोधन

(क) उपधारा (1) में शब्द "मालगुजारी की बकाया" के स्थान पर शब्द "मालगुजारी की बकाया अथवा मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूल की जाने योग्य कोई अन्य धनराशि" रख दिये जायें और सदैव से रखे गये समझे जायें,

(ख) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जाय, अर्थात्—

"(3-क) उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कोई आदेश बाकीदार को कारण बताने की नोटिस दिये बिना और ऐसी नोटिस के उत्तर में किसी प्रत्यावेदन पर जो कलेक्टर को प्राप्त हो, विचार किये बिना न दिया जायगा :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कोई अन्तरिम आदेश ऐसी नोटिस जारी किये जाने के पूर्व या पश्चात् किसी भी समय दिया जा सकता है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि ऐसी नोटिस जारी किये जाने के पूर्व कोई अन्तरिम आदेश दिया जाय तो वह आदेश समाप्त हो जायेगा यदि उस अन्तरिम आदेश के दिनांक से दो सप्ताह के भीतर कोई नोटिस जारी न की जाय।"

No. 4471/XVII-V—1-56-74

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bhoomi Vidhi (Sanshadhan) Adhiniyam, 1974 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 34 of 1974) as pased by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on December 3, 1974:

THE UTTAR PRADESH LAND LAWS (AMENDMENT) ACT, 1974

[U. P. Act No. 34 of 1974]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, *the Uttar Pradesh Urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act,* 1956, *the Kumaun and Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms Act,* 1960, *U. P. Consolidation of Holdings Act,* 1953 *and the U. P. Land Revenue Act,* 1901.

It is hereby enacted in the Twenty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

CHAPTER I

Preliminary

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1974.

CHAPTER II

Amendment of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act 1950

Amendment of section 2 of U. P. Act I of 1951.

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, in sub-section (1), *after* the existing proviso, the following proviso thereto shall be *inserted*, namely :—

"Provided further that a notification under this sub-section in respect of any estate or part thereof owned by the Central Government shall not issue except in consultation with such Government."

Amendment of section 3.

3. In section 3 of the principal Act—

(i) *for* sub-section (4), the following sub-section shall be *substituted*, namely:—

"(4) 'Collector' means an officer appointed as Collector under the provisions of the U. P. Land Revenue Act, 1901, and includes an Assistant Collector of the first class empowered by the State Government by a notification in the *Gazette* to discharge all or any of the functions of a Collector under this Act."

(ii) in sub-section (27), the word "Collector" where it first occurs shall be *omitted*.

Amendment of section 123.

4. Section 123 of the principal Act shall be re-numbered as sub-section (1) thereof, and *after* sub-section (1) as so re-numbered, the following sub-section shall be *inserted*, namely:—

"(2) Where any person referred to in sub-section (3) of section 122-C has built a house on any land held by a tenure-holder (not being a Government lessee) and such house exists on the fifteenth day of March, 1974, the site of such house shall, notwithstanding anything contained in this Act, be deemed to be settled with the owner of such house by the tenure-holder on such terms and conditions as may be prescribed.

Explanation—For the purposes of sub-section (2), a house existing on the fifteenth day of March, 1974 on any land held by a tenure-holder shall, unless the contrary is proved, be presumed to have been built by the occupant thereof, and where the occupants are members of one family, by the head of that family."

Substitution of section 154.

5. *For* section 154 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:—

"154. (1) Save as provided in sub-section (2), no *bhumidhar* shall have the right to transfer by sale or gift, any land other than tea gardens to any person where the seller shall, as a result of such sale or gift, become entitled to land which together with land, if any, held by his family will in the aggregate, exceed 5.04 hectares (12.50 acres) in Uttar Pradesh.

(2) Subject to the provision of any other law relating to the land tenures for the time being in force, the State Government may authorise a transfer in excess of the limit prescribed in sub-section (1), if it is of the opinion that such transfer is in favour of a registered co-operative society or an institution established for a charitable purpose, which does not have land sufficient for its needs, or that the transfer is in the interest of general public.

Explanation—For the purposes of this section, the expression 'family' shall mean the transferee, his or her wife or husband (as the case may be), and minor children, and where the transferee is a minor, also his or her parents."

Amendment of section 156.

6. In section 156 of the principal Act, in sub-section (2), the Explanation thereto shall be *omitted*.

Amendment of section 157-A.

7. In section 157-A of the principal Act,—

(i) in the marginal heading, *for* the words "Scheduled Tribes", the words "Scheduled Castes and Scheduled Tribes" shall be *substituted*;

(ii) in sub-section (1), *for* the words "Scheduled Tribe", wherever occurring, the words "Scheduled Caste or Scheduled Tribe" shall be *substituted*;

(iii) *after* sub-section (1), the following proviso thereto shall be *inserted*, namely:—

"Provided that a *bhumidhar*, *sirdar* or *asami* belonging to a Seheduled Caste or Scheduled Tribe may, without such approval, transfer by way of mortgage without possession, his interest in any holding as security for a loan taken by way of financial assistance for agricultural purposes (as defined in the Uttar Pradesh Agricultural Credit Act, 1973) from the State Government by way of *Taqavi*, or from a co-operative land development bank, or from the State Bank of India or from any other bank which is a Scheduled Bank within the meaning of clause (*e*) of section 2 of the Reserve Bank of India Act, 1934, or from the U. P. State Agro-Industrial Corporation Limited.";

(iv) *for* the Explanation thereto, the following Explanation shall be *substituted*, namely:—

"*Explanation*—In this Chapter, the expressions 'Scheduled Castes' and 'Scheduled Tribes' respectively mean the Scheduled Castes and Scheduled Tribes specified in relation to Uttar Pradesh under Articles 341 and 342 of the Constitution."

Amendment of section 169.

8. In section 169 of the principal Act, in sub-section (2-A), *for* the words "Scheduled Tribe", the words "Scheduled Caste or Scheduled Tribe" shall be *substituted*.

Substitution of section 198.

9. *For* section 198 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely :—

"198. (1) In the admission of persons to land as *sirdar* or *asami* under section 195 or section 197 (hereinafter in this section referred to as allotment of Land), the Land Management Committee shall, subject to any order made by a Court under section 178, observe the following order of preference—

Order of preference in admitting persons to land under sections 195 and 197.

(*a*) any educational institution recognised by the Director of Education, Uttar Pradesh or by the Board of High School and Intermediate Education, Uttar Pradesh, or by a University and imparting instructions in or providing for research in agriculture, horticulture or animal husbandry;

(*b*) landless widow, sons, unmarried daughters or parents residing in the circle, of a person who has lost his life by enemy action while in active service in the Armed Forces of the Union;

(*c*) a person residing in the circle, who has become wholly disabled by enemy action while he was in active service in the Armed Forces of the Union;

(*d*) a person residing in the circle, who has become landless on account of his land having been compulsorily acquired under the provisions of any law relating to acquisition of land on or after the date of vesting;

(*e*) a landless person other than a person referred to in clause (*c*) residing in the circle—

(i) who is an agricultural labourer and who belongs to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe;

(ii) who is retired, released or discharged from service, other than service as an officer in the Armed Forces of the Union;

(iii) who is a freedom-fighter and who has not been granted political pension;

(*f*) any other landless agricultural labourer residing in the circle;

(*g*) a *bhumidhar*, *sirdar* or *asami* residing in the circle and holding landless than 1.26 hectares (3.125 acres);

(*h*) any other landless agricultural labourer belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe, not residing in the circle but residing in the Nyaya Panchayat Circle referred to in section 12 of the U. P. Panchayat Raj Act, 1947;

(*i*) any other person.

Explanation—For the purposes of this sub-section—

(1) 'landless' refers to a person who or whose spouse or minor children hold no land as *bhumidhar*, *sirdar* or *asami*, and except in clause (*d*), also held no land as such within two years immediately preceding the date of allotment; and

(2) 'agricultural labourer' means a person whose main source of livelihood is agricultural labour;

(3) 'Freedom-Fighter' means an inhabitant of Uttar Pradesh who is certified by the Collector to have participated in the National struggle for freedom during the period between 1930 and 1947 and who, in connection with such participation, is similarly certified to have—

(*a*) undergone a sentence of imprisonment for a period of at least two months; or

(*b*) been in jail for a period of at least three months by way of preventive detention or as an undertrial; or

(*c*) been subjected to at least ten stripes in execution of a sentence of whipping; or

(*d*) been declared an absconding offender; or

(*e*) suffered a bullet injury;

and includes a person who was involved in the Peshawar-Kand or who was a recognised member of the Indian National Army or former India Independence League; but does not include a person who was granted pardon on account of his tendering apology or expressing regret for such participation.

(2) Where the land available for allotment to persons falling under clause (*e*) of sub-section (1) is not less than 2 hectares (4.94210 acres) and there are applicants available falling under more than one sub-clauses of that clause, then separate lists shall be prepared for the applicants belonging to each of the sub-clauses (i),(ii) and (iii) of the said clause (hereinafter called List One, List Two and List Three respectively) and allotment shall be made in favour of two persons from List One, one person from List Two and one person from List Three, and the same process shall be repeated till the land available is exhausted:

Provided that where List Two or List Three contains names of more than one person or List One contains names of more than two persons, the persons in whose favour the allotment is to be made on each successive occasion shall be chosen by lot.

(3) The land that may be allotted to—

(i) an educational institution under clause (*a*) of sub-section (1) shall not exceed such area as together with the area held by it immediately before the allotment would aggregate to more than 5.04 hectares (12.50 acres);

(ii) any person under clause (*b*), clause (*c*), clause (*d*), clause (*e*), clause (*f*), clause (*h*), or clause (*i*) of sub-section (1) shall not exceed an area of 1.26 hectares (3.125 acres);

(iii) any person under clause (*g*) of sub-section (1) shall not exceed such area as together with the land held by him as *bhumidhar*, *sirdar* or *asami*, immediately before the allotment would aggregate to more than 1.26 hectares (3.125 acres).

(4) The Collector may of his own motion and shall on the application of any person aggrieved by an allotment of land inquire in the manner prescribed, into such allotment, and if he is satisfied that the allotment is irregular he may,—

(i) cancel the allotment and the lease, if any, and thereupon the right, title and interest of the allottee or lessee or any person claiming through him in the land allotted or leased shall cease, and such land shall revert to the Gaon Sabha, and

(ii) direct delivery of possession of such land forthwith to the Gaon Sabha after ejectment of every person holding or retaining possession thereof, and may for that purpose use or cause to be used such force as may be necessary.

(5) Every order made by the Collector under sub-section (4) shall, subject to the provisions of section 333, be final."

Substitution of section 241.

10. *For* section 241 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:—

"241. The land revenue assessed on any holding shall be first charge on such holding and also on trees or buildings standing thereon or the rents, profits or produce thereof."

Amendment of section 243.

11. In section 243 of the principal Act—

(*a*) in sub-section (1), *for* the word "village" the word "holding" shall be *substituted*;

(*b*) sub-section (2) shall be *omitted*.

Amendment of section 257.

12. In section 257 of the principal Act—

(i) the first proviso thereto shall be *omitted*;

(ii) in the second proviso, the word "further" shall be *omitted*.

Omission of section 258.

13. Section 258 of the principal Act shall be *omitted*.

Omission of section 259.

14. Section 259 of the principal Act shall be *omitted*.

Omission of section 274.

15. Section 274 of the principal Act shall be *omitted*.

Amendment of section 286-A.

16. In section 286-A of the principal Act—

(*a*) in sub-section (1), *for* the words "an arrear of revenue," the words "an arrear of revenue or any other sum recoverable as an arrear of revenue" shall be substituted and be always deemed to have been *substituted*;

(*b*) *after* sub-section (3), the following sub-section shall be inserted and be deemed always to have been *inserted*, namely:—

"(3-A) No order under sub-section (1) or sub-section (3) shall be made except after giving notice to the defaulter to show cause, and after considering any representations that may be received by the Collector in response to such notice :

Provided that an interim order under sub-section (1) or sub-section (3) may be made at any time before or after the issue of such notice:

Provided further that where an interim order is made before the issue of such notice the order shall stand vacated if no notice is issued within two weeks from the date of the interim order."

Insertion of new section 287-A.

17. *After* section 287 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

"287-A. (1) Whenever proceedings are taken under this Chapter against any person for the recovery of any arrear of revenue, he may pay the amount claimed under protest to the officer taking such proceedings, and upon such payment, the proceedings shall be stayed and the person against whom such proceedings were taken may sue the State Government in the Civil Court for the amount so paid, and in such suit the plaintiff may, notwithstanding anything contained in section 278, give evidence of the amount, if any, which he alleges to be due from him.

Payment under protest and suit for recovery.

(2) No protest under this section shall enable the person making the same to sue in the Civil Court, unless it is made at the time of payment in writing and signed by such person or by an agent duly authorised in this behalf."

Substitution of section 330.

18. *For* section 330 of the principal Act, the following section shall be *substituted*, namely:—

"330. Save as otherwise provided by or under this Act, no suit or other proceeding shall lie in any civil court in respect of—

(*a*) any entry in or omission from a Compensation Assessment Roll ; or

(*b*) any order passed under Part I of this Act; or

(*c*) the assessment or collection of land revenue under Chapter X or recovery of sum of money recoverable as arrears of revenue."

CHAPTER III

Amendment of the Uttar Pradesh Urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956

Amendment of section 1 of U.P. Act IX of 1957.

19. In section 1 of the Uttar Pradesh Urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956, in sub-section (3), the following proviso thereto shall be *inserted*, namely:—

"Provided that a notification under this sub-section in respect of any estate or part thereof owned by the Central Government shall not issue except in consultation with such Government."

CHAPTER IV

Amendment of the Kumaun and Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1960

Amendment of section 2 of U.P. Act XVII of 1960.

20. In section 2 of the Kumaun and Uttarakhand Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1960, *after* the existing proviso, the following proviso thereto shall be *inserted*, namely:—

"Provided further that a notification under this sub-section in respect of any estate or part thereof owned by the Central Government shall not issue except in consultation with such Government."

CHAPTER V

Amendment of the U. P. Consolidation of Holdings Act, 1953

Amendment of section 5 of the U. P. Act V of 1954.

21. In section 5 of the U. P. Consolidation of Holdings Act, 1953, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act :—

(1) In sub-section (i), in clause (*c*) *for* sub-clause (ii), the following sub-clause shall be *substituted*, namely:—

"(ii) Transfer by way of sale, gift or exchange his holding or any part thereof in the consolidation area :";

(2) *after* sub-section (2), the following Explanation shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted*, namely :—

"Explanation—For the purpose of sub-section (2), a proceeding under the Uttar Pradesh Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960 shall not be deemed to be a proceeding in respect of declaration of rights or interest in any land."

Insertion of section 11-C.

22. *After* section 11-B of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

"11-C. In the course of hearing of an objection under section 9-A or an appeal under section 11, or in proceedings under section 48, the Consolidation Officer, the Settlement Officer (Consolidation) or the Director of Consolidation, as the case may be, may direct that any land which vests in the State Government or the Gaon Sabha or any other local body or authority may be recorded in its name, even though no objection, appeal or revision has been filed by such Government, Gaon Sabha, body or authority."

Amendment of section 27.

23. In section 27 of the principal Act, in sub-section (3), *for* the words and figures "and provisions of sections 28 and 33 of the U. P. Land Revenue Act, 1901 shall apply to the maintenance of such map, field-book and record of rights, as the case may be," the words and figures "and the provisions of the U. P. Land Revenue Act, 1901 relating to the maintenance and correction of such map, field-book and record-of-rights shall *mutatis mutandis* apply" shall be *substituted*.

CHAPTER VI

Amendment of the U. P. Land Revenue Act, 1901

Amendment of section 182-A of U. P. Act III of 1901.

24. In section 182-A of the U. P. Land Revenue Act, 1901—

(*a*) in sub-section (1), *for* the words "an arrear of revenue," the words "an arrear of revenue or any other sum recoverable as an arrear of revenue" shall be substituted and be always deemed to have been *substituted* ;

(*b*) *after* sub-section (3), the following sub-section shall be inserted and be deemed always to have been *inserted*, namely:—

"(3-A) No order under sub-section (1) or sub-section (3) shall be made except after giving notice to the defaulter to show cause, and after considering any representations that may be received by the Collector in response to such notice:

Provided that an interim order under sub-section (1) or sub-section (3) may be made at any time before or after the issue of such notice:

Provided further that where an interim order is made before the issue of such notice the order shall stand vacated if no notice is issued within two weeks from the date of the interim order."

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 260 सा० विभा०—1974—500 (मे०) ।